संख्या-07-2018/805 /62-1-2018- 830/98

प्रेषक,

अनूप चन्द्र पाण्डेय ,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2- समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।
3- समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
4- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-1 दिनांक: लखनऊ: जुलाई 09 2018

विषयः प्रदेश में दिनांक 16 से 22 जुलाई, 2018 तक "भूजल सप्ताह" का आयोजन किया जाना।

महोदय,

आप अवगत हैं कि भूजल पर बढ़ती निर्भरता एवं औद्योगिकीकरण के कारण प्रदेश में भूगर्भ जल स्रोतों का अनियंत्रित एवं अविवेकपूर्ण दोहन किया जा रहा है। इससे प्रदेश के अधिकांश शहरी क्षेत्रों में भूजल स्तर में चिन्ताजनक गिरावट एवं अतिदोहन की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। भूजल संसाधन के नवीनतम आंकलन के अनुसार वर्तमान में प्रदेश के 217 विकासखण्ड अतिदोहित/क्रिटिकल/सेमीक्रिटिकल श्रेणी में पहुँच गये हैं तथा प्रदेश में भूजल की उपलब्धता जहाँ निरन्तर कम होती जा रही है, वहीं, इस संसाधन पर दबाव अत्यधिक बढ़ता जा रहा है, जो एक चिन्ताजनक स्थिति है। भूजल उपलब्धता में कमी के साथ-साथ कई क्षेत्रों में भूजल प्रदूषण एवं जल प्लावन की समस्याएं भी सामने आयी हैं। प्रदेश में भूजल की इस समस्या का दीर्घकालिक एवं समेकित समाधान सरकार की प्राथमिकता है।

2- प्रदेश के 271 अतिदोहित/क्रिटिकल/सेमीक्रिटिकल विकासखण्डों में भूजल संसाधनों में सुधार लाये जाने के दृष्टिगत वर्षा जल संचयन तथा भूजल संसाधनों के समेकित प्रबन्धन पर

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**
2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.nic.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

विशेष बल देते हुए रिचार्ज के विभिन्न कार्यक्रमों को जन सहभागिता के साथ मिशन मोड में लागू किये जाने हेतु विगत वर्ष 2017-18 से 'राज्य भूजल संरक्षण मिशन' क्रियान्वित किया गया है। भूगर्भ जल संसाधनों के प्रभावी प्रबन्धन एवं संरक्षण के लिए अपरिहार्य हो गया है कि इसे एक जन आंदोलन का रूप दिया जाये, क्योंकि यह प्राकृतिक संसाधन सीधे जन मानस से जुड़ा हुआ है और बिना आम जन की सहभागिता के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में भूगर्भ जल के गहराते संकट से निपटना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है।

3- जैसाकि आप अवगत हैं कि उत्तर प्रदेश में भूगर्भ जल सम्पदा के महत्व के प्रति जन-जागरूकता सृजित करने के उद्देश्य से वर्ष 2012 से प्रत्येक वर्ष दिनांक 16 से 22 जुलाई के मध्य "भूजल सप्ताह" का निरन्तर आयोजन किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में पूर्व में शासनादेश संख्या-732/62-1-2012-830/98, दिनांक 05 जून, 2012 के द्वारा सम्पूर्ण प्रदेश में भूजल जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के उद्देश्य से निम्नानुसार निर्देश दिये गये हैं-

3.1- सम्पूर्ण प्रदेश में उक्तानुसार "भूजल सप्ताह" का आयोजन राज्य, मण्डल, जनपद, तहसील एवं विकासखण्डों में विशेष रूप से स्थानीय स्कूल-कालेजों/शैक्षिक संस्थानों की व्यापक सहभागिता के साथ किये जाने के लिए निम्नानुसार कार्यवाही की जाये:-

(1) परिचर्चा और संवाद, निबन्ध प्रतियोगिता, वाद-विवाद प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, स्लोगन राइटिंग प्रतियोगिता इत्यादि का आयोजन करना।

(2) कठपुतली का प्रदर्शन, लोक नृत्य/गीत और नुक्कड़ नाटक इत्यादि का आयोजन करना।

(3) पोस्टर्स, होर्डिंग, बैनर्स इत्यादि का प्रदर्शन कराया जाना।

(4) प्रदर्शनी, मेलों, उत्सव आदि का आयोजन करना।

(5) पद यात्राओं, रैलियों, संगोष्ठियों, साइकिल परेड आदि का आयोजन किया जाना।

(6) फिल्म/वृत्तचित्र, स्लाइड्-शो, आकाशवाणी, रेडियो कार्यक्रम, दूरदर्शन आदि के माध्यम से भूजल संरक्षण के संदेश प्रसारित किया जाना।

(7) वर्षा जल संचयन एवं भूजल संवर्धन से संबंधित योजनाओं का शिलान्यास/लोकार्पण यथासंभव क्षेत्र के माननीय जन प्रतिनिधियों द्वारा "भूजल सप्ताह" की अवधि में कराया जाना।

3.2- संदर्भित शासनादेश में उक्त कार्यक्रमों के सफलतापूर्वक आयोजन हेतु निम्न व्यवस्थाएं प्रभावी ढंग से क्रियान्वित कराये जाने के भी निर्देश दिये गये हैं -

---

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.nic.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

(1) प्रत्येक वर्ष इस आयोजन हेतु एक 'मुख्य विचार-बिन्दु' राज्य स्तर पर निर्धारित किया जायेगा, जिस पर उक्त कार्यक्रम केन्द्रित रहेंगे।

(2) भूगर्भ जल विभाग इस आयोजन हेतु 'नोडल विभाग' के रूप में समन्वय एवं अनुश्रवण का दायित्व निभायेगा तथा क्षेत्रीय/स्थानीय समस्याओं, भूजल संरक्षण एवं प्रबन्धन की सरल व उपयोगी विधाओं, भूजल सुरक्षा से जुड़े सुझावों आदि पर आधारित प्रचार-प्रसार सामग्री की रूपरेखा तैयार कर आवश्यकतानुसार सामग्री का प्रकाशन करायेगा।

(3) वर्तमान में भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0 के क्षेत्रीय कार्यालय मण्डल स्तर पर ही स्थापित है, जबकि "भूजल सप्ताह" का आयोजन पूरे प्रदेश में किया जाना है। इसके दृष्टिगत जनपद स्तर पर अवस्थित लघु सिंचाई विभाग के सहायक अभियन्ता इस आयोजन के जनपदीय नोडल अधिकारी एवं मण्डल स्तर पर भूगर्भ जल विभाग के संबंधित अधिकारी, मण्डलीय नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।

(4) बेसिक शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उच्चतर शिक्षा विभाग, प्राविधिक शिक्षा विभाग एवं अन्य राजकीय शिक्षण संस्थाएं इस आयोजन हेतु अपने नियंत्रणाधीन स्कूल-कालेजों, विश्वविद्यालयों व शैक्षिक संस्थानों को आवश्यक दिशा-निर्देश निर्गत करेंगे और उक्त आयोजन का अनुश्रवण करेंगे।

(5) जल संसाधनों से संबंधित समस्त विभाग यथा- सिंचाई, कृषि, लघु सिंचाई, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण विभाग, भूमि विकास एवं जल संसाधन, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, पेयजल एवं स्वच्छता मिशन तथा उ0प्र0 जल निगम, समस्त शहरी निकाय, रिमोट सेंसिंग अप्लीकेशन सेन्टर, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उपकार, वाल्मी आदि "भूजल सप्ताह" के आयोजन में समुचित भागीदारी के साथ आवश्यकतानुसार तकनीकी सहयोग प्रदान करेंगे।

(6) कृषि विभाग के अधीन गठित भूमि सेना इस प्रायोजन हेतु भूजल सेना के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता सृजित करने का कार्य करेगी।

(7) शहरी क्षेत्रों में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग अपने अधीनस्थ प्राधिकरणों, उ0प्र0 आवास विकास परिषद आदि के माध्यम से इस आयोजन की अवधि में व्यापक प्रचार-प्रसार एवं जन जागरूकता हेतु पोस्टर्स, बैनर्स, होर्डिंग्स आदि का प्रदर्शन करायेगा।

(8) जन सामान्य की अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित कराये जाने के उद्देश्य से केन्द्रीय संस्थानों/प्रतिष्ठानों, गैर सरकारी संगठनों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं, सामाजिक संगठनों का भी यथासंभव सक्रिय सहयोग प्राप्त किया जाये। विशेष रूप से कृषि विज्ञान केन्द्र, जिला विज्ञान क्लब, पर्यावरण शिक्षा केन्द्र, शिक्षा मित्र, आंगनबाडी केन्द्र, जल उपभोक्ता समितियां, रेजीडेन्ट वेलफेयर सोसाइटी, भारतीय उद्योग परिसंघ, इण्डियन इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन, औद्योगिक प्रतिष्ठान, इण्डियन आर्कीटेक्ट एसोसिएशन, बिल्डर्स एसोसिएशन, इन्सटीट्यूशन आफ इंजीनियर्स, युवा मंगल दल, नेहरू युवा केन्द्र जैसे संगठनों को भी इस आयोजन से जोड़ने का प्रयास किया जाये।

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.nic.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

4- गत वर्षो की भाँति इस वर्ष भी सम्पूर्ण प्रदेश में मण्डल, जनपद, तहसील एवं विकासखण्ड स्तर पर दिनांक 16 से 22 जुलाई, 2018 के मध्य "भूजल सप्ताह" वृहद स्तर पर

मनाये जाने का निर्णय लिया गया है। अतः उक्त के सम्बन्ध में अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सभी विभागों,अर्द्धसरकारी संस्थाओं/निगमों तथा अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित करते हुए सभी आवश्यक तैयारियाँ तत्काल आरम्भ कर दी जाये और प्रदेश भर में भूजल सप्ताह का आयोजन प्रभावी ढंग से सुनिश्चित कराया जाये तथा आयोजन की विस्तृत रिपोर्ट राज्य मुख्यालय को दिनांक 01 अगस्त, 2018 तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जाये।

5- मण्डलायुक्त, जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारियों की इस कार्यक्रम के सफलता पूर्वक आयोजन में विशेष भूमिका है। जनपद स्तर पर पूरे सप्ताह मनाये जाने वाले इस आयोजन का क्रियान्वयन इस प्रकार सुनिश्चित किया जाये कि भूजल संरक्षण का संदेश आम जनता तक पहुँचे और वह इसके प्रति संवेदनशील बन सके। समस्त जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि जनपद स्तर पर चूँकि भूगर्भ जल विभाग के अधिकारी तैनात नहीं हैं, अतएव जनपद स्तर पर स्थापित सम्बन्धित विभागों यथा-कृषि, सिंचाई, लघु सिंचाई, विकास प्राधिकरण, नगर निगम/नगर पालिका, आवास, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, उ0प्र0 जल निगम, लोक निर्माण, उद्यान, शिक्षा विभाग आदि के अधिकारियों की एक टीम बनाकर इस कार्यक्रम का सफल आयोजन कराया जाये। आयोजन की व्यापक सफलता के लिए गैर सरकारी संगठनों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, अर्द्धशासकीय संगठनों, बिल्डर्स, जल उपभोक्ता समितियों, पानी पंचायत आदि का भी यथा सम्भव सहयोग लिया जाये। भूगर्भ जल विभाग के मण्डल मुख्यालय पर तैनात अधिकारी इस हेतु आवश्यक तकनीकी सामग्री उपलब्ध करायेंगे।

6- अवगत हों कि शासन के पत्र संख्या-594/62-1-2017-1107/2015टीसी-11, दिनांक 19-05-2017 के द्वारा जनपद स्तर पर भूजल सेना का गठन किये जाने के निर्देश पूर्व में दिये जा चुके हैं। जिलाधिकारियों से अपेक्षा है कि अपने जनपदों में गठित भूजल सेना के समन्वयक को भूजल के महत्व का सन्देश प्रचारित करने हेतु निर्देशित करेंगे। भूजल सेना के समन्वयक इस हेतु

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**
2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.nic.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

भूजल सेना के छोटे-छोटे समूह बनाकर स्कूल-कालेज, ग्राम एवं ब्लाक स्तर पर प्रचार-प्रसार कर कार्य करायेंगे।

7- इस वर्ष का मुख्य विचार बिन्दु "भूजल संरक्षण - समय की मांग(Ground Water Conservation -Need of Hour)" रखा गया है, जिस पर उक्त आयोजन केन्द्रित रहेगा।

8- भूगर्भ जल विभाग द्वारा प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक 'राज्य स्तरीय जन-जागरूकता समारोह' का आयोजन दिनांक 22 जुलाई को किया जायेगा, जिसके सफलतापूर्वक आयोजन हेतु समस्त सम्बन्धित विभागों के द्वारा अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जायेगा।

कृपया उपरोक्तानुसार दिनांक 16 से 22 जुलाई, 2018 के मध्य सम्पूर्ण प्रदेश में 'भूजल सप्ताह' का प्रभावी ढंग से आयोजन सुनिश्चित कराया जाये।

भवदीय,

(अनूप चन्द्र पाण्डेय)
मुख्य सचिव।

संख्या: 07-2018/805(1)/62-1-2018, तददिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0।
2- स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3- स्टाफ आफीसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
4- स्टाफ आफीसर, औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
5- उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण।
6- आयुक्त, समस्त नगर निगम।
7- निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

आज्ञा से,

(अनीता सिंह)
प्रमुख सचिव।

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**
2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.nic.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**